

वित्तीय नियांग संयुक्त खण्ड 5, माह 2

प्रपत्र संख्या 43५ (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिये)

घनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो)या संस्था के नाम से घनराशि जमा की जा रही है उसका नाम
2. पता

रेट बैंक ऑफ इण्डिया—शाखा औरेया।

श्री गृही कुमार वैश्य, जनपद न्यायाधीश, औरेया जनपद न्यायालय औरेया।

जनपद न्यायालय औरेया।

3. पंजीकरण संख्या/पद का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)

4. जमा की जा रही घनराशि का पूर्ण विवरण (घनराशि किस हेतु जमा की जा रही है। तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)

5. चालान की समस्त राशि

6. चालान की निश्चित राशि

7. लेखा शीर्षक का पूर्ण वितरण/लेखा शीर्षक की मुहर

8. लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड

राजकीय वाहन—यूपी० ७९ जी ०२५७ से दि. १९.०५.२४ से दि. २२.०५.२४ को बरेती जाने व आने में चली कुल ७५२ किमी० में २०० किमी० की छूट का लाभ न लेते हुए सम्पूर्ण ७५२ किमी० का मुगतान रु ३.०० प्रति किमी० की दर से कुल घनराशि २,२५६/- जमा करने हेतु

0070-60-800-00

0070-60-800-00

मुख्य लेखा शीर्षक उप मुख्य लेखा शीर्षक
0 0 7 0 6 0लघु शीर्षक
8 0 0उप शीर्षक व्योरेवार शीर्षक
0 0

घनराशि अंको में
Rs. 2,256/-
-
Rs. 2,256/-

घनराशि शब्दों में—(रुपये दो हजार दो सौ छप्पन मात्र)

योग— Rs. 2,256/-

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

चालान संख्या

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

अंको में

दिनांक

शब्दों में रु०

EO 05539

Shubham Niranjan
2024/5/24

प्राप्त किया
उपकोषागार/बैंक की मुहर